भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2344

सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक)

श्रमिकों के अंतर-राज्यीय प्रवास का आकलन

†2344. **श्री सुदामा प्रसादः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान बिहार से श्रमिकों के अंतर-राज्यीय प्रवास का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो बिहार, क्षेत्र, जिला, गंतव्य तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रवासी श्रमिकों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत बिहार के प्रवासी श्रमिकों का कोई डेटाबेस है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत बिहार के प्रवासी श्रमिकों को प्रदान किए गए सामाजिक सुरक्षा लाभों का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो योजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड़) सरकार द्वारा संकटग्रस्त प्रवास को कम करने के लिए बिहार के भीतर रोजगार के अवसरों में सुधार हेतु योजनाओं और नीतियों के माध्यम से किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

(श्रम और रोजगार राज्य मंत्री)

सुश्री शोभा कारान्दलाजे

(क) से (ङ): कामगारों का एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासन एक सतत प्रक्रिया है और गतिशील प्रकृति का है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म कामगारों, प्रवासी कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों के एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) के सृजन के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) की शुरुआत की। ई-श्रम पोर्टल प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों का पंजीकरण करने और उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करता है। दिनांक 28.07.2026 तक की स्थिति अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर बिहार राज्य से प्रवासी कामगारों सहित 3.24 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों को पंजीकृत किया जा चुका है।

जारी..2/-

बिहार के प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों का जिला-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्नक-I और II पर दिया गया है।

बजट घोषणा 2024-25 के मद्देनजर, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ई-श्रम द्वारा विकसित वन-स्टॉप-सॉल्यूशन के अन्तर्गत दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" की शुरुआत की है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त किए गए लाभों को देखने में सक्षम बनाता है। ई-श्रम कार्डधारकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना दावे का लाभ तथा पहुंच प्रदान करने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की पंद्रह (15) योजनाओं को पहले ही ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है।

सरकार की प्राथमिकता रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार करना है। तद्नुसार, सरकार देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम लागू कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

रोजगार मेला रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। इसके प्रारंभ से, देश भर में आयोजित 19 रोजगार मेलों के माध्यम से 12.5 लाख से अधिक भर्ती पत्र जारी किए जा चुके हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने उद्यमों को औपचारिक रूप देने, सरकारी सहायता तक पहुंच बढ़ाने और एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) सहित कुल 8.9 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पंजीकृत किए जा चुके हैं, जो देश भर में 39 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित 10 नई/नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों में रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए आईटी कार्यबल के पुन: कौशल (री-स्किलिंग)/कौशल उन्नयन (अप-स्किलिंग) के लिए एक कार्यक्रम 'फ्यूचरस्किल्स प्राइम' शुरू किया गया है।

इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सरकार बिहार राज्य सहित पूरे देश में रोजगार सृजन को सहायता देने, सभी क्षेत्रों में रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए, 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' नामक रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को लागू कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय (आउटले) वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। पीएमवीबीआरवाई एक मांग-आधारित योजना है। इस योजना के भाग 'क' के अन्तर्गत, नौकरी में आने वाले 13.18 लाख कर्मचारियों को 744.7 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि संवितरित की गई है; और भाग 'ख' के अन्तर्गत, 83,535 लाभार्थी स्थापनों को 2,068.84 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि संवितरित की जा चुकी है।

जारी..3/-

इसके अतिरिक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी की खोज और मिलान, करियर परामर्श (काउंसलिंग), व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए एक एकल वन-स्टॉप सॉल्यूशन है। उपर्युक्त सभी उपाय संकटग्रस्त प्रवासन को कम करने में सहायक होंग।

**

संलग्नक-I

(ख) "श्रमिकों के अंतर-राज्यीय प्रवास का आकलन" के संबंध में श्री सुदामा प्रसाद**, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए** लोक सभा के अतारांकित प्रश्न नं. 2344 के भाग क से ड़ के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

दिनांक 28.07.2026 तक की स्थिति अनुसार बिहार राज्य से संबंध रखने वाले 'ई-श्रम पोर्टल' पर पंजीकृत प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों की जिलावार कुल संख्या निम्नानुसार है:
:

क्र. सं.	**जिले**	**कुल** पंजीकरण
1	अररिया	10,71,511
2	अरवल	2,06,129
3	औरंगाबाद	8,11,278
4	बांका	7,05,298
5	बेगुसराय	8,46,979
6	भागलपुर	8,84,500
7	भोजपुर	7,56,145
8	बक्सर	5,49,168
9	दरभंगा	12,11,182
10	गया	13,20,744
11	गोपालगंज	9,49,036
12	जमुई	6,19,364
13	जहानाबाद	3,13,575
14	कैमूर (भभुआ)	5,79,322
15	कटिहार	11,05,957
16	खगड़िया	5,09,300
17	किशनगंज	6,27,517

18	लखीसराय	2,78,320
19	मधेपुरा	7,01,260
20	मधुबनी	13,21,985
21	मुंगेर	3,67,065
22	मुजफ्फरपुर	14,32,182
23	नालन्दा	7,63,491
24	नवादा	6,49,008
25	पश्चिम चंपारण	13,38,385
26	पटना	13,58,087
27	पूर्वी चंपारण	15,74,917
28	पूर्णिया	11,19,841
29	रोहतास	9,29,274
30	सहरसा	6,49,972
31	समस्तीपुर	13,77,205
32	सारण	12,33,469
33	शेखपुरा	1,88,084
34	शिवहर	1,91,833
35	सीतामढ़ी	9,64,327
36	सिवान	11,01,795
37	सुपौल	8,34,980
38	वैशाली	10,51,747
कुल		**3,24,94,232**

संलग्नक-II

दिनांक 28.07.2026 तक की स्थिति अनुसार बिहार राज्य से संबंध रखने वाले 'ई-श्रम पोर्टल' पर पंजीकृत प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों की जिलावार कुल संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	व्यवसाय क्षेत्र	पंजीकरण की संख्या
1	कृषि	1,56,95,266
2	घरेलू एवं पारिवारिक कामगार	46,69,791
3	सन्निर्माण	31,47,373
4	अपैरल	19,31,193
5	विविध	15,96,758
6	पूंजीगत सामान और विनिर्माण	7,36,666
7	ऑटोमोबाइल और परिवहन	6,93,023
8	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	6,05,186
9	चर्म उद्योग कार्य	5,74,565
10	शिक्षा	5,54,568
11	पर्यटन और आतिथ्य	5,16,532
12	स्वास्थ्य सेवा	3,98,685
13	कार्यालय प्रशासन और सुविधा प्रबंधन	2,06,251
14	ब्यूटी एंड वेलनेस	2,05,852
15	खाद्य उद्योग	1,88,616
16	रिटेल	1,76,471
17	तंबाकू उद्योग	1,26,586
18	हस्तशिल्प और कालीन	1,19,306
19	रत्न और आभूषण	69,819
20	प्रोफेशनल्स	67,015
21	प्रिंटिंग	39,442

22	खनन	38,400
23	निजी सुरक्षा	30,556
24	सेवा	26,998
25	लकड़ी और बढ़ईगीरी	26,060
26	कांच और सिरेमिक	17,388
27	वस्त्र और हथकरघा	13,925
28	वाद्य यंत्र	12,401
29	संगठित रिटेल	6,188
30	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा	3,352
कुल		**3,24,94,232**
